

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक : 99 / का.सेल. / 15

दिनांक : 27/04/15



प्रति,

1. मेसर्स सार्थक बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स,
तर्फे भागीदार श्री अश्विन मेहता पिता श्री चन्द्रसिंह मेहता,
2. मेसर्स सार्थक रियल बिल्ड प्रा.लि.
तर्फे डायरेक्टर श्री अश्विन मेहता पिता श्री चन्द्रसिंह मेहता,
पता-12/1, न्यु पलासिया, इन्दौर (म.प्र.)

विषय :- ग्राम टिगरिया बादशाह, तहसील व जिला इन्दौर के सर्वे क्रमांक 53/1, 53/2, 57/2/1/1, 57/2/1/2, 57/2/1/3, 57/2/1/4, 57/2/2 कुल रकबा 9.324 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास उपयोग हेतु विकास अनुमति बाबद।

संदर्भ:- आपका आवेदन क्रमांक 366 दिनांक 15/10/2014 के कम में।

आवेदक/कंपनी को निम्नलिखित शासकीय विभागों से अनापत्ति/अनुमतियां प्राप्त हैं।

1. कार्यालय नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा म.प्र. नगर पालिका कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें नियम 1998 के प्रावधान अनुसार सार्थक रियल बिल्ड प्रा.लि. को कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 648/का.से./2014/इन्दौर दिनांक 16/04/2014 एवं मेसर्स सार्थक बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स को कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 333/का.से./2008/इन्दौर दिनांक 29/03/2008 जारी किया गया है जिसका नवीनीकरण पत्र क्रमांक 2432 दिनांक 26/03/2014 से किया गया है।
2. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अधिनियम 1973 के अन्तर्गत नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, जिला इन्दौर द्वारा आवासीय अभिन्यास का अनुमोदन पत्र क्रमांक 5196/एस.पी.-367/12/न्यानि/2013 इन्दौर दिनांक 14/06/2013 से आवासीय भूखण्डीय प्रयोजन हेतु किया गया है।
3. न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व-हातोद, जिला इन्दौर द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अन्तर्गत प्रकरण क्र. 55/अ-2/13-14 दिनांक 05/09/2004 से भूमि का व्यपवर्तन किया गया है।
4. भू-अर्जन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक 8713 दिनांक 13/11/2013 से अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हातोद, जिला इन्दौर को अभिमत दिया है कि प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में प्राधिकारी द्वारा घोषित किसी योजना में समाविष्ट नहीं है संबंधी लेख किया गया है।
5. अनुविभागीय अधिकारी एवं नजूल अधिकारी, अनुभाग हातोद, जिला इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक 1253/रीहातोद/नजूल हातोद/2012, इन्दौर दिनांक 05/12/2012 से संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर को यह अभिमत दिया है कि प्रश्नाधीन भूमि में शासकीय नजूल, सीलिंग, भूमि समाविष्ट नहीं है।
6. तहसीलदार, तहसील हातोद, जिला इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक 247/रीडर-1/2015 हातोद दिनांक 27/02/2015 से भू-स्वामित्व की जानकारी दी है।
7. अपर कलेक्टर एवं राक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक 886/श.सी./रीडर/2015 इन्दौर दिनांक 23/03/2015 से यह अभिमत दिया है कि भूमि इस कार्यालय में उपलब्ध कब्जा प्राप्त भूमि की सूची में शामिल नहीं हैं।

आवेदक/कंपनी द्वारा निम्नलिखित शुल्क जमा किये गये हैं।

1. आवेदन शुल्क, आवेदन फार्म एवं प्रोसेस शुल्क चालान क्रमांक 72 दिनांक 11/09/2014 से राशि रुपये 1,00,240/- (अक्षरी रुपये एक लाख दो सौ चालीस) ऐक्सिस बैंक शाखा 1, यशवंत कालोनी, इंदौर में जमा।
2. सुपरविजन चार्जस चालान क्रमांक 192 दिनांक 20/03/2015 से राशि रुपये 10,46,076/- (अक्षरी रुपये दस लाख छियालीस हजार छिहत्तर) ऐक्सिस बैंक, शाखा कमल पैलेस, 1, यशवन्त कॉलोनी, यशवन्त निवास रोड़, इन्दौर में जमा।
3. बाह्य विकास शुल्क चालान क्रमांक 192 दिनांक 20/03/2015 से राशि रुपये 8,58,400/- (अक्षरी रुपये आठ लाख अठावन हजार चार सौ) ऐक्सिस बैंक, शाखा कमल पैलेस, 1, यशवन्त कॉलोनी, यशवन्त निवास रोड़, इन्दौर में जमा।
4. कर्मकार कल्याण उपकर की राशि रुपये 5,23,039/- (अक्षरी रुपये पांच लाख तेबीस हजार उनचालीस) का डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक 321007 दिनांक 21/03/2015 दि फेडरल बैंक लिमिटेड शाखा इन्दौर (म.प्र.) का सचिव म.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल इन्दौर के नाम से जमा।
5. ओवरहेड टैंक का निर्माण आवेदक को स्वयं के व्यय से करना होगा एवं ओवरहेड टैंक की ड्राईंग-डिजाइन तकनीकी संस्था से अनुमोदन कराना होगी।
6. नर्मदा कैपिटल रिनियल शुल्क चालान क्रमांक 193 दिनांक 20/03/2015 से राशि रुपये 54,31,971/- (अक्षरी रुपये चौपन्नास लाख इकतीस हजार नौ सौ इकोहत्तर) ऐक्सिस बैंक, शाखा कमल पैलेस, 1, यशवन्त कॉलोनी, यशवन्त निवास रोड़, इन्दौर में जमा।
7. मध्यप्रदेश नगर पालिक कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें नियम 1998 संशोधन विधेयक 19 अप्रैल 2012 के नियम 10 अनुसार आश्रय शुल्क की राशि रुपये 57,56,300/- (अक्षरी रुपये सत्तावन लाख छप्पन हजार तीन सौ) चेक क्रमांक 175031 दिनांक 20/03/2015 दि फेडरल बैंक लिमिटेड शाखा, इन्दौर (म.प्र.) का कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा एम.जी.रोड़, इन्दौर के निगम खाता क्रमांक 6711196179 में जमा।
8. विकास शुल्क चालान क्रमांक 192 दिनांक 20/03/2015 से राशि रुपये 2,96,040/- (अक्षरी रुपये दो लाख छियानवे हजार चालीस) ऐक्सिस बैंक, शाखा कमल पैलेस, 1, यशवन्त कॉलोनी, यशवन्त निवास रोड़, इन्दौर में जमा।
9. संपत्ति कर वर्ष जमा 2015-16 जमा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 65 दिनांक दिनांक 31/03/2015 की प्रति प्रस्तुत की है।

उपरोक्त राशि जमा की गई होने से एवं संबंधित शासकीय विभागों से अनापत्ति एवं स्वीकृति प्राप्त होने से एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अभिन्यास अनुमोदित होने से ग्राम टिगरिया बादशाह, तहसील व जिला इंदौर के सर्वे क्रमांक 53/1, 53/2, 57/2/1/1, 57/2/1/2, 57/2/1/3, 57/2/1/4, 57/2/2 कुल रकबा 9.324 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास उपयोग हेतु (मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 और उसके अन्तर्गत निर्मित म.प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998 के अधीन तथा टास्क फोर्स कमेटी कॉलोनी सेल नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा दिनांक 25/02/2015 को बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार निम्न शर्तों के अधीन विकास अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. निगम के पक्ष में धरोहर के रूप में रखे गये भूखण्ड वाले स्थान पर सूचना बोर्ड लगाना होगा तथा उस पर भूखण्ड नगर निगम में धरोहर है, तथा उनका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है, यह उल्लेख करना आवश्यक है।
2. मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त व्यपवर्तन आदेश की समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
3. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्राप्त अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा।
4. भूखण्डों का विक्रय पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर करना होगा।
5. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर द्वारा अनुमोदित अभिन्यास क्र. 5196/एस.पी.-367/12/नग्रानि/2013 इन्दौर दिनांक 14/06/2013 के अनुसार आवेदक को चयनित विकल्प अनुसार समाज के कमजोर आय वर्ग हेतु 32 भूखण्ड एवं निम्न आय वर्ग हेतु 21 भूखण्ड तथा मल्टी हेतु आरक्षित क्षेत्र में समाज के कमजोर आय वर्ग हेतु 18 युनिट एवं निम्न आय वर्ग हेतु 12 यूनिट आरक्षित रखना होगी एवं जिनका आवंटन नियमों के प्रावधान अनुसार करना होगा। तदुपरांत ही धरोहर भूखण्ड मुक्त की जा सकेगी।
6. आवेदक के भू-स्वामित्व के संबंध में यदि कोई वाद माननीय न्यायालय अथवा अन्य किसी शासकीय विभाग में प्रचलित वाद पर यदि कोई निर्णय आवेदक के विरुद्ध पारित होता है तो ऐसी स्थिति में जारी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी एवं पारित निर्णय का पालन आवेदक को करना होगा।
7. भविष्य की योजना हेतु प्रश्नाधिन क्षेत्र पर किसी प्रकार का निर्माण/विकास मान्य नहीं होगा इस हेतु पृथक् से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
8. आवेदक द्वारा विकास के पूर्व इन्दौर विकास प्राधिकारी की विद्यमान अथवा प्रस्तावित योजना के प्रस्तावों एवं आस-पास के विद्यमान विकास से समन्वय आवश्यक होगा।
9. शुल्को की गणना के अंतर की स्थिति में नियमानुसार अंतर की राशि जमा कराने का दायित्व आवेदक का होगा।
10. आवेदक द्वारा कालोनी के विकास के कुल भूखण्डीय क्षेत्रफल के पेटे विकास लागत के 125 प्रतिशत के मान से अभिन्यास में लाल रंग से अंकित सदर स्थल के निम्न वर्णित भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 86500 वर्गफीट विकास कार्य पूर्ण होने तक पंजीयन क्रमांक 1-अ/49 (4/3) दिनांक 13/04/2015 से धरोहर के रूप में रखे गये है।

क्र.	भूखण्ड क्रमांक	कुल क्षेत्रफल (वर्गफीट में)
1.	ए-1	1000
2.	ए-13	1000
3.	ए-14	800
4.	ए-15	800
5.	ए-16	800
6.	ए-17	800
7.	ए-18	800
8.	ए-19	800
9.	ए-20	800
10.	ए-21	800
11.	ए-65	1000
12.	ए-66	1000
13.	ए-67	1000
14.	ए-68	1000

क्र.	भूखण्ड क्रमांक	कुल क्षेत्रफल (वर्गफीट में)
15.	ए-69	1000
16.	ए-70	1000
17.	ए-71	1000
18.	ए-72	1000
19.	ए-73	1000
20.	ए-74	1000
21.	ए-79	1000
22.	ए-80	1000
23.	ए-81	1000
24.	ए-82	1000
25.	ए-83	1000
26.	ए-84	1000
27.	ए-85	1000
28.	ए-86	1000
29.	ए-87	1000
30.	ए-193	1000
31.	ए-194	1000
32.	ए-195	1000
33.	ए-198	1000
34.	ए-199	1000
35.	ए-200	1000
36.	ए-201	1000
37.	ए-202	1000
38.	ए-208	1000
39.	ए-209	1000
40.	ए-214	1000
41.	ए-219	1000
42.	ए-223	1000
43.	ए-224	1000
44.	ए-228	1000
45.	ए-229	1000
46.	ए-241	1000
47.	ए-242	1000
48.	ए-243	1000
49.	ए-244	1000
50.	ए-245	1000
51.	ए-261	1000
52.	ए-262	1000
53.	ए-267	1000
54.	ए-269	1000
55.	ए-272	1000
56.	ए-276	1000
57.	ए-279	1100
58.	ए-282	1000
59.	ए-285	1000
60.	ए-295	1000
61.	ए-296	1000
62.	ए-297	1000
63.	ए-298	1000
64.	ए-300	1000

क्र.	भूखण्ड क्रमांक	कुल क्षेत्रफल (वर्गफीट में)
65.	ए-305	1000
66.	ए-306	1000
67.	ए-307	1000
68.	ए-309	1000
69.	ए-313	1000
70.	ए-314	1000
71.	ए-317	1000
72.	ए-318	1000
73.	ए-319	1000
74.	ए-320	1000
75.	ए-321	1000
76.	ए-332	1000
77.	ए-334	1000
78.	ए-336	1000
79.	ए-341	1000
80.	ए-343	1000
81.	ए-344	1000
82.	ए-345	1000
83.	ए-348	1000
84.	ए-349	1000
85.	ए-350	1000
86.	ए-351	1000
87.	ए-352	1000
88.	ए-353	1000
कुल क्षेत्रफल		86500 वर्गफीट

कालोनाईजर द्वारा उपरोक्त धरोहर रखे गये भूखण्डों का न तो इनका विक्रय किया जावेगा और ना ही उनकी रजिस्ट्री की जावेगी। निगम के मतानुसार विकास कार्य अपूर्ण रहने पर उक्त भूखण्ड राजसात किये जाने का अधिकार निगम को होगा। समाज के कमजोर आय वर्ग व निम्न आय वर्ग हेतु आरक्षित युनिटों के निर्माण व आवंटन पश्चात् ही धरोहर रखे गये भूखण्ड मुक्त किये जा सकेंगे।

11. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित अभिन्यास क्रमांक 5196/एस.पी. -367/12/नग्रानि/2013 इन्दौर दिनांक 14/06/2013 में दर्शित अनुसार सड़कों की चौड़ाई रखना होगी, एवं उद्यान हेतु आरक्षित भूमि 8600 वर्गमीटर पर उद्यान की कम्पाउण्डवॉल/जाली लगाकर उद्यान का विकास कार्य पूर्ण करना होगा।
12. रोड सेट बैक हेतु आरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने पाये यह सुनिश्चित करना होगा।
13. उपरोक्त कालोनी में विद्युत पोल पर लाईट फिटिंग लगानी होगी, लाईट फिटिंग नहीं लगाने की दशा में 3,000/- रु. प्रति पोल के मान से एफडीआर प्रस्तुत की है। जो विद्युत पोलो पर फिटिंग लगाने के उपरांत एवं विद्युत विभाग नगर पालिक निगम इन्दौर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही मुक्त होगी।
14. उपरोक्त कालोनी में वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी। सार्वजनिक उद्यान में जहां वर्षा के समय पानी इकट्ठा होना है, वहां वॉटर रिचार्जिंग का पिट बनवाना होगा।

२५

२५

15. कालोनी के पास स्थित नर्मदा की मुख्य लाईन से कनेक्शन लेने हेतु कालोनाइजर को नियमानुसार पृथक से अनुमति प्राप्त करना होगी, एवं स्वयं के व्यय से उक्त लाईन को जोड़ना होगा।
16. पर्यावरण विभाग/प्रदूषण मण्डल का प्रमाण पत्र आवेदक को पृथक से प्राप्त करना होगा।
17. प्रस्ताव अनुसार सेप्टिक टैंक (एस.टी.पी.)/कचरा घर/ऐमीनिटीस/ट्रांसफार्मर इत्यादि का नियमानुसार निर्माण करना होगा।
18. प्रश्नाधिन भूमि के संबंध में कोई वाद अथवा शिकायत किसी शासकीय विभाग में लंबित होने पर समस्त जवाबदारी आवेदकगण की होगी।
19. अभिन्यास में सदर स्थल के पहुंच मार्ग एवं अन्य आवश्यक प्रावधानों का विस्तृत प्रारूप प्रस्तुत करना होगा एवं पहुंच मार्गों का निर्माण करना होगा।
20. कॉलोनी के रूढिगत पानी की निकासी की व्यवस्था आवेदक को करना होगी।
21. सदर स्थल पर आने-जाने वाले रास्तों पर अतिक्रमण न हो व उक्त रास्ते बंद न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी।
22. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 में रिकार्ड अनुसार शासकीय, नजूल, अतिशेष घोषित भूमि व प्रचलित रास्ते व पानी निकासी के स्तर पर अतिक्रमण न हो यह सुनिश्चित करना होगा।
23. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, इन्दौर द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में अंकित समस्त शर्तों का पूर्णतः पालन करना होगा।
24. भूमि के संबंध में एवं अद्योसंरचना के संबंध में कोई वाद आदि उत्पन्न होने पर इसकी समस्त जवाबदारी आवेदक की होगी।
25. प्रकरण में प्रावधान अनुसार अन्य शुल्कों के अतिरिक्त बाह्य विकास शुल्क के रूप में रुपये 8,58,400/- एवं विकास शुल्क के रूप में रुपये 2,96,040/- जमा कराये गये हैं। लेकिन ड्रेनेज संयोजन के समय झोन की ड्रेनेज व्यवस्था एवं भौगोलिक स्थिति अनुसार मानक के आधार पर प्रावधान अनुसार ड्रेनेज संयोजन के आवश्यक शुल्क जमा कराते हुये संयोजन की पृथक से स्वीकृति प्राप्त करना होगी।
26. भूमि विकास नियम 1984 एवं संशोधन नियम 2012 के अंतर्गत नियमों का पालन करना होगा।
27. प्रावधानों के तहत सदर स्थल पर वृक्षारोपण एवं उसका रख-रखाव सुनिश्चित हो।
28. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, नजूल, इन्दौर विकास प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा, तहसीलदार तहसील इन्दौर, एवं अन्य समस्त शासकीय विभागों द्वारा दी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः पालन करना होगा किसी भी विभाग की आपत्ति आने पर जारी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
29. उक्त स्वीकृति प्रस्तुत स्वामित्व के दस्तावेज के आधार पर जारी की जा रही है जो किसी प्रकार के स्वामित्व सिद्ध करने हेतु सहायक नहीं होगा और न ही किसी कानूनी कार्यवाही हेतु सहायक होगा। नगर निगम इन्दौर अन्य कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।

30. स्थल पर किये जाने वाले विकास कार्यों हेतु नगर शिल्पज्ञ (जनकार्य) नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा अनुमोदित इस्टीमेट्स की प्रति संलग्न में दी जा रही है उपरोक्त इस्टीमेट के अनुसार ही स्थल पर विकास कार्य हो यह सुनिश्चित करे। किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में पृथक से सूचित कर उसका अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।
31. कालोनी की विकास अनुमति जारी होने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के भीतर विकास कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा परन्तु यदि कालोनी के विकास कार्य में कोई कमी या कमियाँ पाई जाती है तो ऐसी कमियों को दूर करने के लिये उक्त समय सीमा में अधिकतम एक वर्ष तक की वृद्धि की जा सकेगी।
32. प्रकरण में किसी अन्य विभाग की स्वीकृति आवश्यक होने पर पृथक से आवेदक/कंपनी को प्राप्त करना होगी।

आपके द्वारा दी गई जानकारी एवं मालकी दस्तावेजों में छुपाये गये तथ्यों के उजागर होने पर एवं भूमि स्वामित्व/सीमा संबंधी किसी प्रकार के विवाद या किसी विभाग की आपत्ति आने पर तथा उपरोक्त उल्लेखित किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में दी गई विकास की अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

(नस्ती पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत)



उपायुक्त एवं प्रभारी अधिकारी,
कालोनी सेल,
नगर पालिक निगम, इंदौर

क्रमांक : _____/का.सेल./15

दिनांक _____

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवाकर, इन्दौर की और सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, जिला इन्दौर की और सूचनार्थ।
3. सक्षम प्राधिकारी, नगर तथा भूमि सीमा कार्यालय, इन्दौर की और सूचनार्थ प्रेषित।
4. नजूल अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर की और सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की और सूचनार्थ प्रेषित।
6. अपर आयुक्त, कालोनी सेल, नगर पालिक निगम, इन्दौर की और सूचनार्थ प्रेषित।
7. उप पंजीयक, कलेक्टर कार्यालय, जिला इन्दौर की और सूचनार्थ प्रेषित।
8. उपायुक्त, राजस्व, नगर पालिक निगम, इन्दौर की और सूचनार्थ प्रेषित।
9. नगर शिल्पज्ञ, (जनकार्य) नगर पालिक निगम, इन्दौर की और किये जाने वाले विकास कार्यों का निरीक्षण समय-समय पर किये जाने हेतु इस्टीमेट की प्रति संलग्न में प्रेषित की जा रही है कृपया इस्टीमेट्स अनुसार ही स्थल पर कार्य हो यह सुनिश्चित करावे।
10. भवन अधिकारी, क्षेत्र क्र. 1, (ग्रामीण क्षेत्र), नगर पालिक निगम, इन्दौर की और सूचनार्थ एवं ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमिनिटीस की निर्माण अनुमति के संबंध में स्वीकृति संबंधी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपायुक्त एवं प्रभारी अधिकारी,
कालोनी सेल
नगर पालिक निगम, इन्दौर